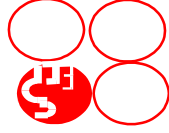


:: **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित** ::

चौदा तलावली, ए. बी. रोड़, इन्दौर-453 771 (म. प्र.)

दूरभाष क्रमांक : (0731) 2802554 / फ़ैक्स : (0731) 2802559



श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर ठेका तृतीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना
लिपिकीय/तकनीकी वर्ग (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.)

कुल पृष्ठ संख्या : .--

:: तालिका ::

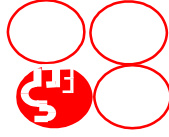
(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 31 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका	02
(3)	तृतीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना	03
(4)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्तें	04 से 19
(5)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	20 से 23
(6)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्तें	24 से 28
(7)	निविदा प्रपत्र– 03 भाव-पत्र	29
(8)	निविदा प्रपत्र – 04 सयंत्रों की सूची	30 से 31

:: इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ::

चौदा तलावली, ए. बी. रोड़, इन्दौर-453 771(म. प्र.)

दूरभाष क्रमांक : (0731) 2802554 / फैक्स : (0731) 2802559



श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर ठेका तृतीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सर्विस प्रोवाइडर/उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु

तृतीय ई-निविदा क्रमांक : 3248 / प्रशा./इसदुसं/2024, इन्दौर, दिनांक 28/06/2024

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर/उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से **Two bid system "दो बिड पद्धति"** (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रु. 2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर दिनांक 01/07/2024 प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 15/07/2024 दोपहर 2:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ई-निविदा की सम्पूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771

मूल्य 2000/-

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

1 – प्रस्तावना :-	
1.1	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक/सर्विस प्रोवाइडर/लिपिकीय/तकनीकी वर्ग/उच्च कुशल, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से जिसे 05 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में श्रमिक प्रदाय का कार्यानुभव अनिवार्य हो, से Two bid system “दो बिड पद्धति” (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से तृतीय ई-निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2 – अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :-	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चोंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.) दूरभाष नं. (0731) 2802554, 2802535
3 – निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई-टेण्डरिंग हेतु वेबसाइट सम्बंधी विवरण:-	
3.1	उप महाप्रबंधक (प्रशासन), इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, तलावली चोंदा, मांगलिया, इन्दौर-453 771 (म. प्र.), दूरभाष क्रमांक (0731) 2802554, 2802535 E-Mail ID :sanchimsids@gmail.com निविदा संबंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sanchidairy.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई-निविदा ऑनलाइन अपलोड वेबसाइट :- http://www.mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 . ई-टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :-	
4.1	निविदाकर्ता राशि रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) का ई-निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

4.2	निविदा आमंत्रण हेतु समय-सारणी :-	
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.07.2024 प्रातः 11.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.07.2024 दोप. 2.00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.07.2024 दोप. 3.00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 16.07.2024 दोप. 3.00 बजे
5	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाईन जमा की जाने वाली धरोहर राशि (Earnest Money)	रु. 35,00,000/- (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चोंदा तलावली, इन्दौर
7	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 06 माह तक

5 – कार्य का विवरण :-

5.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार/सर्विस प्रोवाइडर को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, चोंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर हेतु प्रतिदिन लगभग 200-400 श्रमिकों एवं मिनी डेयरी संयंत्रों/समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 250-300 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय-पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सफल निविदाकार द्वारा सर्विस प्रोवाइडर/लिपिकीय/तकनीकी वर्ग/उच्च कुशल/कुशल/अर्द्ध कुशल/अकुशल/शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों व लिपिकीय सेवाकर्मी एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना होगा। सर्विस प्रोवाइडर/लिपिकीय अमले को संघ द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जाता है, यदि उनके द्वारा कर्तव्य के दौरान क्षति या हानि होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार/निविदाकार से की जावेगी इसलिये सर्विस प्रोवाइडर/श्रमिक से ठेकेदार को शपथ-पत्र लेकर ही रखना होगा।
5.2	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीतकेन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।
5.3	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

6 – धरोहर राशि (ई.एम.डी.) :-	
6.1	निविदाकार को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से धरोहर राशि (Earnest Money) रुपये 35,00,000/- (रु. पैंतीस लाख) Online जमा करना अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि (Earnest Money) के निविदा अमान्य होगी।
6.2	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में धरोहर राशि के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा।
6.3	धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7 – सुरक्षा निधि :-	
7.1	निविदा स्वीकृत होने पर ठेकेदार को सुरक्षा निधि (Security Deposit) रु. 2.00 करोड़ अनुबंध के समय नगद राशि 50.00 लाख एवं 1.50 करोड़ की बैंक ग्यारंटी "इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर" के नाम से तीन वर्ष छः माह या अनुबंध अवधि के अतिरिक्त छः माह बढ़ी हुई अवधि की देना होगी। बैंक ग्यारंटी (BG) ठेकेदार द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के पक्ष में डिस्चार्ज/रिलीज (Discharge/Release) करके संघ में जमा कराना होगा। अनुबंध की अवधि में वृद्धि किये जाने पर तदनुसार बैंक ग्यारंटी (BG) का नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। तदोपरांत प्रदायित श्रमिकों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) से अधिक होती है तो अंतर की राशि 03 माह में किश्तों में सुरक्षा निधि (Security Deposit) स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आगामी तीन देयको से राशि समायोजित कर ली जावेगी। उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण-पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि, जी.एस.टी. तथा कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय आदि से संपूर्ण ठेका अवधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ.सी.) संघ में जमा कराने के पश्चात् ही वापस की जावेगी। राष्ट्रीयकृत बैंक ग्यारंटी/डिमाण्ड ड्राफ्ट, RTGS द्वारा जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7.2	उक्त सुरक्षा निधि ((Security Deposit)) ठेका समाप्त होने के पश्चात् श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, मिनी डेयरी संयंत्रों एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों से अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान के नियमानुसार, व जी.एस.टी राशि शासन नियमानुसार अन्य देय राशि पूर्णतः जमा होने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। (जमा सुरक्षा निधि ((Security Deposit)) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा)। इस हेतु ठेका अवधि पूर्ण होने पर संघ द्वारा कैम्प लगाया जावेगा, जिसमें विवादित प्रकरणों का पूर्ण निराकरण आवश्यक होगा।
8 – निविदा प्रपत्र भरने हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ :-	
8.1	प्रपत्र क्रं. 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तों का अवलोकन करें। निविदा में प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) अनुसार अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है।

8.2	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु म. प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध/जीवित अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/ एजेंसी जिसके पास किसी प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था या दुग्ध संघों में कार्य/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए, का नाम एवं पता, जिसमें विगत पाँच वर्षों से 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में ठेके पर कम-से-कम 400 श्रमिक उक्त वर्णित किसी भी संस्था में प्रदाय किये गये हों या किये जा रहे हों, का अनुभव होना चाहिए। नियोक्ता का आदेश एवं कार्य सफलतापूर्वक का प्रमाण-पत्र एवं प्रदाय श्रमिकों के नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर सहित प्रत्येक वर्षवार सूची देना आवश्यक है।
8.3	यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है अथवा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9 – निविदा की सामान्य नियम व शर्तें :-	
9.1	ई-निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।
9.2	यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.3	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।
9.4	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघों/एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों एवं एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
9.5	यदि किसी निविदाकार द्वारा भाव पत्र/दर सुपरवीजन एवं सर्विस चार्ज '0' प्रतिशत (शून्य प्रतिशत) सर्विस चार्ज अंकित किया जाता है, तो ऐसे निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 29(1) 2014-पी.पी.डी./दिनांक 28.01.2014 के अनुसार)। यदि व्यवहारिक रूप से एवं टैक्स आदि को देखा जाये तो 01 प्रतिशत से न्यून सर्विस चार्ज को मान्य नहीं किया जाकर निविदा विचार योग्य नहीं रहेगी।
9.6	यदि ठेकेदार का मुख्यालय इन्दौर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे ठेका आवंटन के पश्चात् इन्दौर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
9.7	प्रत्येक पाली में श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

9.8	श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
9.9	श्रमायुक्त कार्यालय, इन्दौर द्वारा समय-समय-पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा एमपीसीडीएफ/इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समय-समय सेवाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक/सेवाकर्मी को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
9.10	निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जायेगा। ऐसी निविदा जो निर्धारित निविदा के नियम व शर्तों को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।
9.11	अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा इस हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा।
9.12	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में 02 माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9.13	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9.14	सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रकरण निराकरण न होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996" के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9.15	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा, तथा सुरक्षानिधि राजसात की जावेगी।
9.16	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं. की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

9.17	श्रमिक ठेकेदार को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर की नाममात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
9.18	निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यदेश दिये जाने की स्थिति में, निर्धारित समयसीमा में कार्य प्रारंभ न करने/सुरक्षा निधि जमा न करने/अनुबंध न करने की स्थिति में धरोहर राशि जप्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार की दर पर श्रमिक ठेका दिया जा सकेगा।
9.19	निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तों तथा विवरणों में वर्णित अर्थात् लगाये गये श्रमिक का आशय श्रमिक/सेवाकर्मी माना जावे।
9.20	ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही (www.mptenders.gov.in) पर संपादित की जावे। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ वेबसाइट्स www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन किया जावे।
10 – मूल्यांकन की प्रक्रिया :-	
10.1	निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी उपस्थित निविदाकारों को दी जायेगी।
10.2	सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जावेगी।
10.3	जो निविदाकार तकनीकी बिड की शर्तों को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। वित्तीय बिड में निविदाकारों द्वारा दी गई दर को उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों को बताया जायेगा। निविदा समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।
10.4	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् न्यूनतम दर प्रस्तुतकर्ता सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा।
10.5	निविदाएं खोलने के पश्चात् यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती है और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
10.6	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
11 – अनुबंध की अवधि/निरस्तीकरण :-	
11.1	श्रमिक ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षों के लिए होगा तथा श्रमिक ठेका अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अनुमोदित भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए अतिरिक्त एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

11.2	निष्पादित अनुबंध को श्रमिक ठेकेदार अथवा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा दो माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही श्रमिक ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि राजसात की जाकर श्रमिक ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11.3	निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने की स्थिति में 15 दिवस में निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से अनुबंध हेतु रुपये 1,000/- (रु एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11.4	अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद-विवाद के संबंध में सभी वैधानिक कार्यवाही के लिये क्षेत्राधिकार इन्दौर स्थित न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।
12 – ठेके पर श्रमिक/सेवाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम व शर्तें :-	
12.1	प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई श्रमिक/सेवाकर्मी की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
12.2	प्रदाय की गई श्रमिक/सेवाकर्मी श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के कर्मचारी नहीं होंगे।
12.3	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निविदा में स्वीकृत अनुसार ही रहेगी।
12.4	निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।
12.5	श्रमिक ठेकेदार को आवंटित कार्य बिना इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की सहमति के किसी अन्य फर्म/एजेसी आदि को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा निरस्ती योग्य होगी।
12.6	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त श्रमिक द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।
12.7	सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
12.8	निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

13 – श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय के लिए नियम एवं सेवा शर्तें :-	
13.1	श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुये कार्य करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक प्रतिदिन रुपये 1,000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जा सकेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि आदि राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
13.2	संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रु. 500/- प्रति श्रमिक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। श्रमिक द्वारा यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
13.3	प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
13.4	श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, काला चश्मा पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा।
13.5	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल किया जावेगा।
13.6	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार के लिये मान्य व बंधनकारी होगा।
13.7	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के परिसर में कार्य स्थल पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है।
13.8	श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं के पास रखना होगा एवं आवश्यकता होने पर संघ में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

13.9	श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से गलती से या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट-फूट/नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।
14 – श्रमिक/सेवाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान संबंधी शर्तें :-	
14.1	श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक श्रमिकों को वेतन भुगतान ठेकेदार को करना होगा, एवं इसी माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/लगाये श्रमिकों का मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा, देयकों के साथ मुख्य पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अन्तर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। श्रमिकों के परिश्रमिक के भुगतान हेतु कोई अग्रिम संघ द्वारा नहीं दिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. व GST के जमा चालानों के साथ ठेका श्रमिक की सत्यापित सूची जमा किये जाने के उपरांत ही देयकों का भुगतान किया जायेगा।
14.2	श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आई., श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौत करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। नियम अनुसार कटौत निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14.3	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर/या जैसा भी निर्देशित किया जावे, राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करना/करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 50,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
14.4	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा।

14.5	श्रमिकों/सेवाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भू-राजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूल की जावेगी तथा श्रमिक ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14.6	यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन समय पर भुगतान नहीं किये जाते हैं, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकेगा।
14.7	श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।
14.8	श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है, अन्यथा रु. 1000/- आर्थिक दण्ड प्रतिमाह अधिरोपित होगा।
14.9	श्रमिक ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौती कर दुग्ध संघ द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत संघ द्वारा किये गये आयकर कटौती का विवरण/प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जायेगा।
15 – कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों/सेवाकर्मियों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व :-	
15.1	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मी को कार्य प्रारंभ करने के 10 दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
15.2	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को फैंक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा एवं समय-समय-पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15.3	श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शू-कवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल किया जावेगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रु 1,500/- (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1,200/- रु. तथा एक जोड़ी जूते के 300/- रु) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।
15.4	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई. एस.आई. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रु. 1,000/- तक की पेनाल्टी श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जावेगी। श्रमिक ठेकेदार यदि इन्दौर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य

	बीमा, इन्दौर कार्यालय का सब कोड (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के
	पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
15.5	श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह कार्य कराये, इस हेतु रिलीवर/एवजी की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसा नहीं पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
15.6	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्ध कुशल/अकुशल)/सेवाकर्मी निविदा में दी गई शर्तों व मापदण्ड, के अनुरूप हो।
15.7	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में आधार नंबर सहित कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
15.8	यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
15.9	श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
15.10	किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।
15.11	निविदाकार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15.12	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगड़ा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सज़ायापता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रुपये 1,000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
15.13	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी (वर्ष में एक बार चिकित्सा जाँच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ, इन्दौर

प्रपत्र -01

	बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
15.14	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 07 तारीख तक गत माह में किये गये कार्यों/लगाये गये श्रमिकों को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर शाखावार/मिनी डेयरी संयंत्रवार/दुग्ध शीत केन्द्रवार सत्यापित बिल सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रकों सहित एकजाई रूप से प्रबंधन को प्रस्तुत करना होगा। देयकों के साथ मुख पत्र (कवरिंग लेटर) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें देयक क्रमांक/दिनांक, शाखा/मिनी डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र का नाम एवं राशि का उल्लेख होना आवश्यक है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा पूर्ण एवं सही बिल, जिसका जिक्र इन कंडिकाओं में किया गया है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत किया जाता है, तो परीक्षण उपरांत उसका भुगतान प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रबंधन की शर्तों के अंतर्गत किया जावेगा। देयक के साथ प्रबंधन द्वारा दिये गये प्रारूप में श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों के वेतन पत्रक के साथ सत्यापित मूल उपस्थिति पत्रक एवं भुगतान पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक की वेतन दर, वेतन एवं उसमें से किये गये कटौत एवं भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा एवं अन्य कटौत दर्शाते हुए शुद्ध वेतन भुगतान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। जानबूझकर गलत देयक प्रस्तुत करने पर राशि का 100 प्रतिशत आर्थिक दण्ड आरोपित किया जायेगा। अपूर्ण देयकों को यथास्थिति में वापस किया जायेगा, जिसके विलंब से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम, ई.पी. एफ नं., यू.ए.एन नं., ई.एस.आई नं. एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक होगा, अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि वैधानिक औपचारिकताओं का परिपालन नहीं किया जाता है, तो दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार की सर्विस चार्ज राशि का भुगतान आगामी निराकरण होने तक रोका जा सकेगा और इसके फलस्वरूप यदि किसी भी प्रकार का श्रमिकों को भुगतान संबंधी अवरोध आदि पैदा होता है (यदि उपरोक्त के अभाव में देयक भुगतान में विलंब होता है) तो उसकी पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी एवं प्रबंधन पक्ष किसी भी प्रकार से जवाबदार नहीं रहेगा। ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वितीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
15.15	श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिकों को प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा करना होगा, एवं कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी बीमा कार्यालय/छ:माही/वार्षिकी रिटर्न जो वैधानिक तौर पर चालानो की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारी की सूची सहित प्रतिमाह संघ कार्यालय में जमा करनी होगी तथा मूल चालानो पर भी यह टीप दी जाना होगी, कि "इस चालान की कुल राशि रु. में द्वारा इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/मिनी डेयरी संयंत्र/समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका श्रमिकों के लिये जमा की गई राशि रु. भी सम्मिलित है, जिसकी प्रतिपूर्ति इन्दौर दुग्ध संघ से की जा चुकी है।" इस आशय का मूल चालन के पीछे प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, तथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई. नंबर सम्मिलित हो। EPF/ESI/BANK एवं अन्य की सूची इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर हेतु पूर्णतः पृथक देनी होगी, इसमें ठेकेदार के अन्य संस्था में कार्यरत कर्मचारी नहीं

	दर्शित होने चाहिए, अन्यथा देयको का भुगतान नहीं किया जावेगा। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। तथा अधिनियमित कटौती समय पर जमा करने की जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने से ठेकेदार विफल हो जाता है, या भविष्य निधि ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स आदि जमा नहीं करता है, ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (सिक्युरिटी डिपोजिट) राशि से या देय योग्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा। शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भू-राजस्व की भांति वसूल कर सकेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक ठेका श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ. खाता खोलकर उसमें ई.पी.एफ. अंश जमा करना होगा, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौती का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई./बैंक एवं अन्य की सूची इन्दौर दुग्ध संघ हेतु पूर्णतः पृथक देनी होगी, इसमें ठेकेदार के अन्य संस्था में कार्यरत कर्मचारी नहीं दर्शित होने चाहिये, अन्यथा देयको का भुगतान नहीं किया जावेगा। जी.एस.टी., ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के चालानों के लिये केवल एक माह की छूट प्रदान की जावेगी अर्थात् प्रस्तुत किए गए देयको के अतिरिक्त उसके पूर्व के महीनों के लिये ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की पूर्ण राशि के जमा किए गए चालन प्रस्तुत किए जाने पर ही देयको को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति केवल चालन में जमा की गई राशि के बराबर ही होगा। वैधानिक दायित्वों जैसे जी.एस.टी., ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा अन्य का भुगतान समय पर करना होगा, अन्यथा प्रत्येक दायित्व पर रु. 50000/- हजार प्रतिमाह शास्ति अधिरोपित की जावेगी।												
15.16	कान्ट्रेक्ट लेबर (रिग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।												
16 – शास्ति/अर्थदण्ड :-													
16.1	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री-पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेट्स या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/कॉच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।												
16.2	ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) की राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व काली सूची में डाला जाकर दुग्ध संघ अपने स्रोत अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात् कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा। <table><tr><th>क्रमांक</th><th>विलंब की अवधि</th><th>क्षतिपूर्ति राशि रु</th></tr><tr><td>1</td><td>एक माह तक</td><td>लागत का 1 प्रतिशत</td></tr><tr><td>2</td><td>1 से 2 माह तक</td><td>लागत का 2 प्रतिशत</td></tr><tr><td>3</td><td>2 माह से अधिक</td><td>लागत का 5 प्रतिशत</td></tr></table>	क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु	1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत	2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत	3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत
क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु											
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत											
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत											
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत											

16.3	दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक-पृथक स्थितिवार की जावेगी :- 16.3 (i) :- दुग्ध को संबंधित पैकेजिंग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिपट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डाक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत् श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेट्स में निर्धारित क्षमता (1 लीटर के 10 पैकेट, 500 एम.एल. के 20 पैकेट एवं 200 एम.एल. के 50 पैकेट) से अधिक दूध पैकेट पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक पाये गये दूध पैकेट की राशि का 20 गुना दण्ड श्रमिक ठेकेदार पर लगाया जावेगा। 16.3 (ii) - वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में "दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसिज (पक्षों) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। 16.3 (iii) :- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसिज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत् सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना अर्थदण्ड दोनों एजेंसिज (पक्ष) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 50 गुना आर्थिक दण्ड दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत् नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।
------	---

17 – ठेके पर रखे गये श्रमिकों/सेवाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना :-	
17.1	श्रमिक ठेकेदार को किसी भी ठेका श्रमिक/सेवाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने की दशा में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। उपरोक्त के संबंध में प्रबंधन की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नहीं होगी।
17.2	दुग्ध संघ की सम्पत्ति अथवा सामान के चोरी होने पर यदि ठेकेदार का श्रमिक संलिप्त पाया जाता तो श्रमिक ठेकेदार से उक्त सामग्री की मूल कीमत के साथ आर्थिक शास्ति भी अधिरोपित की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

प्रारूप क्रमांक-01

श्रमिक/सेवाकर्मियों को मजदूरी भुगतान शर्त क्रमांक 14-1

प्रपत्र क्रमांक-01

श्रमिकों का वेतन भुगतान पत्रक, माह : _____

क्रं.	श्रमिक का नाम (पिता के नाम सहित)	आधारकार्ड का नम्बर	ई.पी.एफ. खाता नम्बर	ई.एस.आई. खाता नम्बर	मस्टररोल के आधार पर माह में सत्यापित कार्य दिवस	प्रतिदिन भुगतान की दर
1	2	3	4	5	6	7

कुल मासिक	कर्मचारी का ई.पी.एफ. अंशदान की राशि	कर्मचारी का ई.एस.आई. अंशदान की राशि	अन्य कटौती	कुल कटौती की राशि	बैंक खाता नम्बर व बैंक का नाम	कुल कटौती के उपरांत शेष कुल वेतन
8	9	10	11	12	13	14

कुल राशि श्रमिक के वेतन बैंक खातों में भुगतान करने का कष्ट कर बिलों /अग्रिम से समायोजित करें।

हस्ताक्षर
सील

दिनांक :

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

प्रपत्र -02 (अ)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया,
इन्दौर।

महोदय,

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, मिनी डेयरी संयंत्र एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु दिनांक को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) राशि रुपये 35,00,000/- (रु. पैंतीस लाख) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हतायें के लिये प्रमाण-पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

:: तकनीकी अर्हताएँ ::

केवल चाहे गये दस्तावेज ही विवरण में प्रतिपूर्ति कर संलग्न करना है, इसके अतिरिक्त अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं करें।

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं करें।
1	निविदाकार का नाम व पता	_____
2	संस्था/फर्म होने की दशा में पंजीयन का प्रमाण-पत्र पेज नं. — से — तक	प्रमाण का विवरण — _____
3	यदि कोई पार्टनर हो तो उसका नाम व पता एवं पार्टनरशीप-डीड पेज नं. — से — तक	नम्बर/तिथि — _____
4	कॉन्टेक्ट लेबर (रेग्युलेशन एण्ड एबोलेशन) एम.पी. रूल्स 1973 के तहत फार्म-VI में श्रम विभाग का जीवित लाईसेंस नंबर की छाया प्रति पेज नं. — से — तक	_____
5	ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन कोड नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. — से — तक	_____
6	ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. — से — तक	_____
7	GST कोड नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति पेज नं. — से — तक	_____
8	PAN नम्बर रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति। पेज नं. — से — तक	_____

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
9	प्रतिष्ठित औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्था या दुग्ध संघों में कार्य/खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में ठेके पर कम-से-कम 400 श्रमिक उक्त वर्णित किसी भी संस्था में प्रदाय किये गये हों या किये जा रहे हों, का अनुभव होना चाहिए। नियोक्ता का आदेश एवं कार्य सफलतापूर्वक का प्रमाण-पत्र तथा यदि संस्था द्वारा उक्त वर्षों में कार्य अवधि बढ़ाई गई हो तो इस संबंध में संस्था का पत्र/अनुबंध आवश्यक होगा। पेज नं. — से — तक	संस्था का नाम ————— वर्ष 2018-19 में कार्यादेश श्रमिकों की संख्या --- वर्ष 2019-20 में कार्यादेश श्रमिकों की संख्या --- वर्ष 2020-21 में कार्यादेश श्रमिकों की संख्या --- वर्ष 2021-22 में कार्यादेश श्रमिकों की संख्या --- वर्ष 2022-23 में कार्यादेश श्रमिकों की संख्या --- प्रमाण-पत्र का विवरण : ————— ————— —————
10	श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान शत-प्रतिशत वर्षवार प्रत्येक माह जमा होने का प्रमाण, EPF के चालानों की छाया प्रति एवं राशि जमा होने का कंफर्मेशन रिपोर्ट प्रत्येक चालान के साथ होना अनिवार्य है। पेज नं. — से — तक	वर्ष 2020-21 के चालान पेज ----- से ----- तक वर्ष लेखा पत्रक, वर्ष 2021-22 के चालान पेज ----- से ----- तक वर्ष लेखा पत्रक, वर्ष 2022-2023 के चालान पेज ----- से ----- तक वर्ष लेखा पत्रक,
11	श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत- प्रतिशत वर्षवार प्रत्येक माह जमा होने का प्रमाण, ESI की राशि के चालानों की छाया प्रति। पेज नं. — से — तक	वर्ष 2020-21 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष 2021-22 के चालान पेज ---- से ---- तक वर्ष 2022-23 के चालान पेज ---- से ---- तक
12	जी.एस.टी. राशि का वर्षवार प्रत्येक माह जमा होने का प्रमाण, GST की राशि के रिटर्न का 3B देना होगा। पेज नं. — से — तक	वर्ष 2020-21 के 3B पेज ---- से ---- तक वर्ष 2021-22 के 3B पेज ---- से ---- तक वर्ष 2022-23 के 3B पेज ---- से ---- तक
13	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का टर्न ओवर तीन वर्षों में कुल रु. 30.00 करोड़ होना चाहिए। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक होगा। पेज नं. — से — तक	वर्ष 2020-21 में रु. ————— करोड़ है। वर्ष 2021-22 में रु. ————— करोड़ है। वर्ष 2022-23 में रु. ————— करोड़ है।
14	कारखाना एवं श्रम विभाग में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन/लम्बित न होने का शपथ-पत्र दिनांक ————— शपथ-पत्र। पेज नं. — से — तक	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ-पत्र दिनांक ————— रु. 100/- के (गेर न्यायालयीन स्टाम्प पर)
15	क्या निविदाकर्ता का इन्दौर शहर में कार्यालय है। यदि हाँ तो पूर्ण पते का उल्लेख करें। पेज नं. — से — तक	पता ————— ————— —————

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण की पूर्ति करना आवश्यक है, खाली नहीं छोड़े और संलग्न नहीं भरें।
16	क्या आपकी संस्था इन्दौर/भोपाल/उज्जैन /एम.पी.सी.डी.एफ./जबलपुर/ग्वालियर/ बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ, सागर में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण का उल्लेख करें। कब से कब तक कार्य आदेश संलग्न करें। पेज नं. — से — तक	दिनांक ————— दिनांक ————— तक स्थान ————— दिनांक ————— दिनांक ————— तक स्थान —————
17	क्या उक्त संस्थाओं में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं जी.एस.टी. इत्यादि का कोई विवाद जो पंजीकृत/विचाराधीन है। यदि विवाद नहीं है तो नोटरी का शपथ-पत्र 100/- रुपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करें। पेज नं. — से — तक	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ-पत्र दिनांक ————— रु. 100/- के (गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)
18	निविदा के साथ जमा धरोहर राशि (EMD) का विवरण 45 दिन की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। E.M.D. जमा की या छूट हेतु एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें। पेज नं. — से — तक।	विवरण ————— प्रमाण का विवरण राज्य —————
19	यदि आपकी एजेंसी को किसी संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी जानकारी हाँ/या नहीं। शपथ-पत्र दें। पेज नं. — से — तक।	नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा किया गया शपथ-पत्र दिनांक ————— रु. 100/- के (गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)

नोट :-

- 1) किसी भी संस्था एवं दुग्ध संघ द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है तो उसकी निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- 2) ऑन-लाइन निविदा पर ही विचार किया जावेगा तथा चाहे गये दस्तावेज ही संलग्न करें, अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करें। ऑन-लाइन प्राप्त ही दस्तावेजों को मान्य किया जायेगा।
- 3) उपरोक्त जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर कभी-भी ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (Earnest Money)/सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।
- 4) एम.एस.एम.ई. (म. प्र. राज्य में स्थापित संस्था) का प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि (EMD) में छूट रहेगी, लेकिन सुरक्षा निधि में कोई छूट नहीं रहेगी। म.प्र. राज्य को छोड़कर अन्य राज्य के निविदाकारों को (EMD) राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 5) धरोहर राशि ऑन-लाइन जमा करने के उपरांत मूल प्रति तकनीकी अर्हता प्रपत्र-एक के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 6) प्राप्त निविदाओं की सर्वप्रथम तकनीकी अर्हताएं (बिड़) खोली जावेगी, तकनीकी अर्हता जो पूर्ण करते हैं, उनकी ऑन-लाइन दरें खोली जाकर मान्य की जावेगी।
- 7) कोई भी तकनीकी अर्हताएँ (बिड़) को स्वीकार करना या सभी को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित है।

- 8) श्रमिक ठेका मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर एवं मिनी डेरी संयंत्र तथा शीत केन्द्रों पर श्रमिक/लिपिकीय सर्विस प्रोवाइडर प्रदाय करना है।
- 9) श्रमिक ठेका आवश्यकता होने पर मुख्य डेरी संयंत्र का एवं शीत केन्द्रों का पृथक-पृथक ठेका आवंटन भी किया जा सकता है।
- 10) बिड़ में समान दर प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से निर्णय लिया जावेगा।
- 11) संलग्न दस्तावेजों की Index सूची देनी होगी, जिसमें किस पृष्ठ से किस पृष्ठ तक कौन से दस्तावेज है, बताना होगा। इस हेतु संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या होना आवश्यक है।
- 12) EPF/ESI/BANK एवं अन्य की सूची इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर हेतु पूर्णतः पृथक देनी होगी, इसमें ठेकेदार के अन्य संस्था में कार्यरत कर्मचारी नहीं दर्शित होने चाहिए, अन्यथा देयको का भुगतान नहीं किया जावेगा।

निविदाकार का नाम : _____

पूर्ण पता : _____

मोबाईल नम्बर : _____

दूरभाष नम्बर : _____

- ❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्तें :-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) (तकनीकी अर्हताएँ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन-किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 14, 17 एवं 19 हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, "निविदा की सामान्य शर्तें" प्रपत्र क्रमांक 02 (अ)
4. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, "निविदा की सामान्य शर्तें" प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) "तकनीकी अर्हतायें" में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्कैन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 03) को ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।
5. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें। सशर्त निविदाएँ अमान्य की जावेगी।
6. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरान्त समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।
7. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष ई.पी.एफ चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को भी आधार माना जायेगा।
8. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के अनुसार दर्शाया जाना अनिवार्य है।

9. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर धरोहर राशि (**Earnest Money**) राजसात की जावेगी।
10. निविदा स्वीकृत होने पर EMD राशि सुरक्षा निधि में समायोजित की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर-453 771

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरे प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 14 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ-पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) (आयु)..... (पता) शपथकर्ता
सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 17 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) (पता)
..(पंजीयन क्रमांक) शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध एम.पी.सी.डी.एफ./ इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/ग्वालियर/बुंदेलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) (आयु) (पता)
शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 19 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम) (पता)
(पंजीयन क्रमांक) शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म को किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ / दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम) (आयु) (पता)
शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

“वित्तीय बिड़”

“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र.	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (अधिकतम बीमा राशि रु. 1,00,000/- प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट:-

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
2.	“अ” मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :-

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :- (केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्रं.	विवरण	समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की सत्यापित देयक राशि पर प्रतिशत में।
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

प्रपत्र-04

मुख्य डेरी संयंत्र, इन्दौर कार्यालय तथा मिनी डेरी संयंत्र एवं शीत केन्द्रों पर लगभग आवश्यकतानुसार निम्नानुसार श्रमिक लगते हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या में कमी तथा बढ़ोतरी संभव है।

	मुख्य डेरी संयंत्र	सर्विस प्रोवाइडर	उच्च कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
	01) प्रशासन	-	-	02	01	-	03
	02) वित्त	-	04	-	01	-	05
	03) एम.आई.एस.	-	02	01	-	01	04
	04) यांत्रिकी क्रय	03	-	-	01	-	04
	05) विपणन	-	16	04	-	01	21
	06) क्षेत्र संचालन	01	06	04	-	-	11
	07) समन्वय + बी.एम.सी.	-	-	02	-	-	02
	08) कार्यालय स्वीपर	-	-	-	-	02	02
	09) अध्यक्ष कार्यालय	-	-	02	-	03	05
	10) गार्डन (प्लांट)	-	-	01	-	06	07
	11) महाप्रबंधक (सं. संचा.)	-	-	01	-	-	01
	12) सिविल	01	-	03	-	02	06
	13) भण्डार	-	02	03	01	03	09
	14) यातायात + गैरेज	-	01	52	-	62	115
	15) रेफ्रीजरेशन	02	06	02	-	02	12
	16) गुण नियंत्रण	-	08	12	03	10	33
	17) आर.एम.आर.डी.	-	-	-	01	06	07
	18) प्री-पैक	-	-	08	-	68	76
	19) इंडिजिनीयस प्रोडक्ट	-	-	06	-	19	25
	20) प्रोसेस	-	-	07	03	12	22
	21) घी	-	01	07	02	27	37
	22) उत्पादन + तौलकांटा	10	05	08	02	02	27
	23) यांत्रिकी + मेन्टेनेंस	01	11	05	-	04	21
	24) बॉयलर	03	02	01	05	07	18
	25) आई.एस.ओ.	-	-	-	-	02	02
	26) प्लांट स्वीपर	-	-	-	02	07	09
	27) पावडर प्लांट + मीठा पावडर	-	01	05	04	23	33
	28) गारबेज कलेक्शन	-	-	-	-	06	06
	कुल योग :-	21					524

	दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र	सर्विस प्रोवाइडर	उच्च कुशल	कुशल	अर्द्ध कुशल	अकुशल	कुल श्रमिक
	01) झाबुआ	-	02	08	04	17	31
	02) बड़वानी	-	02	13	01	02	18
	03) खरगौन	-	02	14	02	12	30
	04) बुरहानपुर	02	01	01	02	03	09
	05) सेंधवा	01	02	13	02	20	38
	06) खण्डवा	01	01	04	-	05	11
	07) फूलगोंवड़ी	-	-	07	-	04	11
	08) चापड़ा	-	-	11	01	02	14
	09) अम्बुआ	-	-	-	-	02	02
	10) दूधी	-	01	02	-	04	07
	11) बड़वाह	-	-	04	01	07	12
	12) कन्नौद	-	01	07	07	-	15
	13) टोंकखुर्द + देवास	-	02	05	-	03	10
	14) सोनकच्छ	-	-	07	04	-	11
	15) पेटलावद	-	-	04	-	02	06
	कुल योग :-	04					225

उपरोक्त श्रमिक की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि होती रहती है।

